रजिस्ट्री सं डी एल -33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 1994/अग्रहायण 28, 1916
No. 525] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 1994/AGRAHAYANA 28, 1916

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई.सा.बा. और नियंत्रण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1994

सा.का.नि. 869(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में और संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करने का प्रस्ताव करती है, करने के लिये कतिपय नियमों के निम्नलिखित मसौदे

को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है जैसा कि उसमें प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिये उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख जब भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है जनता को उपलब्ध करा दी गई हो, के पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद विचार किया जायेगा।

यदि उक्त समयावधि के समाप्त होने से पहले संबद्ध मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होता है तो उस पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

उक्त मसौदे नियमों के संबंध में यदि कोई व्यक्ति आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा विचार करने के लिये यथा-निर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को भेज सकता है।

## मसौदा नियम

1. (1) ये नियम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1994 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में, नियम 19 के उप-नियम (6) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाये, यथा :—

"(6क) सूचीबद्ध किये जाने के संबंध में इन नियमों द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षायें जैसा भी वे अब तक हैं, संसद के अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा गठित निगमित निकाय पर भी लागू होंगे।"

[फा.सं. 1/33/एस.ई./92]

पी.जे. नायक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(External Commercial Borrowings and Investment Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1994

G.S.R. 869(E).—The following draft of certain rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be considered by the Central Government.

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of said draft rules may forward the same for consideration by the Central Government within the period so specified above to the Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi-110001

## DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 1994.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, after sub-rule (6) of Rule 19, the following shall be inserted namely :—

   "(6) All the requirements with respect to listing prescribed by these rules shall so far as they may be, also apply to a body corporate constituted by an Act of Parliament or any State legislature."

[F No. 1|33|SE|92]

P. J. NAYAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mava Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995